रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 1991/ज्येष्ठ 10, 1913
No. 204] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 1991/JYAISTHA 10, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 31 मई, 1991

सा.का.नि. 286(अ):—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियमों को उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जिन्हें ऐसे विखंडन के पूर्व किया गया है या किये जाने से लोप किया गया है, अर्थात् :—

(1) कम्पनी (केन्द्रीय सरकार को अपील) नियम, 1957

(2) कम्पनी विधि बोर्ड (प्रक्रिया) नियम, 1964

(3) कम्पनी विधि बोर्ड (न्यायपीठ) नियम, 1975

परन्तु इस अधिसूचना के प्रवर्तन की तारीख के ठीक पूर्व कम्पनी विधि बोर्ड या केन्द्रीय सरकार के समक्ष लंबित किसी विषय या कार्यवाही की कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा या, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा, ऐसे प्रवर्तन की तारीख के पश्चात् सुनवाई की जानी हो तो ऐसे विषय या कार्यवाही की कम्पनी विधि बोर्ड या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार सुनवाई और व्ययन किया जायेगा मानो उक्त नियमों को विखण्डित न किया गया हो।

[फा.सं. 3/7/87-सी.एल.-5]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 31th May, 1991

G.S.R. 286(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby rescinds, except as respects things done

or omitted to be done before such rescission, the following rules, namely :—

(1) The Companies (Appeal to the Central Government) Rules, 1957.

(2) The Company Law Board (Procedure) Rules, 1964.

(3) The Company Law Board (Bench) Rules, 1975.

Provided that if any matter or proceeding pending before the Company Law Board or the Central Government immediately prior to the date of enforcement of this notification is to be heard after the date of such enforcement by the Company Law Board, or as the case may be, by the Central Government, then such matter or proceeding shall be heard and disposed of by the Company Law Board or the Central Government as if the said rules have not been rescinded.

[F. No. 3/7/87-CL.V]

सा.का.नि. 287(अ) :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी विधि बोर्ड को केन्द्रीय सरकार की शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन करने वाली अधिसूचनाएं सं. सा.का.नि. 443(अ) तारीख 18 अक्तूबर, 1972, सं. सा.का.नि. 343(अ) तारीख 24 जून 1975 और सं. सा.का.नि. 477 तारीख 31 मार्च, 1978 को तारीख 31 मई 1991 से विखंडित करती है।

[फ़ा.सं. 3/7/87-सी.एल.-5]

G.S.R. 287(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 637 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby rescinds the Notifications No. G.S.R. 443(E) dated the 18th October, 1972, No. G.S.R. 343(E) dated 24th June, 1975 and No. G.S.R. 477 dated 31st March, 1978, delegating the powers and functions of the Central Government to the Company Law Board, with effect from 31st May, 1991.

[F. No. 3/7/87-CL.V]

सा.का.नि. 288(अ) :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 506(अ) तारीख 24 जून, 1985 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या किये जाने से लोप किया गया है, मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में प्रादेशिक निदेशकों को उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार की शक्तियों और कृत्यों को प्रत्यायोजित करती है, अर्थात् :—

धारा 22, धारा 25, धारा 31 की उपधारा (1), उपधारा (3), (4), (7) और धारा 224 की उपधारा (8) का खण्ड (क), धारा 394क, धारा 400, धारा 439 की उपधारा (5) का दूसरा परन्तुक और उक्त धारा की उपधारा (6), धारा 496 की उपधारा (1) का खण्ड (क), धारा 508 की उपधारा (1) का खंड (क), धारा 551 की उपधारा (1), धारा 555 की उपधारा (7) का खंड (ख), उक्त धारा की उपधारा (9) के खंड (क) का परन्तुक, धारा 610 की उपधारा (1) के परन्तुक और धारा 627।

यह अधिसूचना 31 मई, 1991 को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 3/7/87-सी.एल.-5]

G.S.R. 288(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 637 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Company Affairs No. G.S.R. 506(E) dated the 24th June, 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby delegates to the Regional Directors at Bombay, Calcutta, Madras and Kanpur, the powers and functions of the Central Government under the following provisions of the said Act, namely :—

Section 22, section 25, sub-section (1) of section 31, sub-sections (3), (4), (7) and clause (a) of sub-section (8) of section 224, section 394A, section 400, second proviso to sub-section (5) of section 439 and sub-section (6) of said section, clause (a) of sub-section (1) of section 496, clause (a) of sub-section (1) of section 508, sub section (1) of section 551, clause (b) of sub-section (7) of section 555, the proviso to clause (a) of sub-section (9) of the said section, the provisos to sub-section (1) of section 610, and section 627.

This notification shall come into force on 31st May, 1991.

[F. No. 3/7/87-CL.V]

सा.का.नि. 289(अ) :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी (केन्द्रीय सरकार के) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी (केन्द्रीय सरकार के) साधारण नियम और प्ररूप (संशोधन) नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी (केन्द्रीय सरकार के) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 में—

(क) नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (5) के उपखण्ड (ख) में, प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषपाल शब्दों का लोप किया जायेगा।

(ख) नियम 8 का लोप किया जायेगा;

(ग) नियम 9 में "छह आने" शब्दों के स्थान पर, "एक रुपया" शब्द रखे जायेंगे;

(घ) नियम 11 का लोप किया जायेगा;

(ङ) नियम 11क का लोप किया जायेगा;

(च) नियम 13 के उपनियम (1) में, "न्यायालय" शब्द के स्थान पर, "कम्पनी विधि बोर्ड" शब्द रखे जायेंगे ;

(छ) नियम 13क का लोप किया जायेगा।

(ज) उपाबन्ध "क" में, प्ररूप सं. 1ग, 23घ, 25, 27, 28, और 35घ का लोप किया जायेगा।

(झ) उपाबन्ध ख की धारा 186 में, "न्यायालय" शब्द के स्थान पर जहां-जहां वह आता है, "कम्पनी विधि बोर्ड" शब्द रखे जायेंगे;

(ञ) उपाबन्ध की धारा 186 में, "न्यायालय" शब्द के के स्थान पर जहां-जहां वह आता है, "कम्पनी विधि बोर्ड" शब्द रखे जायेंगे;

(ट) उपाबन्ध घ की धारा 186 में, "न्यायालय" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "कम्पनी विधि बोर्ड" शब्द रखे जायेंगे।

[फाइल संख्या 3/7/87-सी.एल.-5]

नोट :—कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 का संशोधन मूल अधिसूचना—

1. का नि आ 432क तारीख 18-2-1956
बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—
2. का नि आ 2535 तारीख 1-11-1956
3. का नि आ 3135 तारीख 21-12-1956
4. का नि आ 237 तारीख 19-01-1957
5. का नि आ 2105 तारीख 29-06-1957
6. का नि आ 3038 तारीख 28-9-1957
7. का नि आ 3867 तारीख 7-12-1957
8. सा का नि 48 तारीख 22-2-1958
9. सा का नि 723 तारीख 23-08-1958
10. सा का नि 750 तारीख 30-8-1958
11. सा का नि 1026 तारीख 1-11-1958
12. सा का नि 14 तारीख 3-01-1959
13. सा का नि 548 तारीख 9-05-1959
14. सा का नि 1140 तारीख 17-10-1959
15. सा का नि 1224 तारीख 7-11-1959
16. सा का नि 1364 तारीख 12-12-1959
17. सा का नि 220 तारीख 27-02-1960
18. सा का नि 595 तारीख 25-08-1960
19. सा का नि 195 तारीख 18-02-1961
20. सा का नि 814 तारीख 24-6-1961
21. सा का नि 1105 तारीख 9-09-1961
22. सा का नि 1408 तारीख 25-11-1961
23. सा का नि 653 तारीख 12-05-1962
24. सा का नि 344 तारीख 2-03-1963
25. सा का नि 628 तारीख 13-4-1963
26. सा का नि 97 तारीख 16-1-1965
27. सा का नि 822 तारीख 12-06-1965
28. सा का नि 1570 तारीख 30-10-1965
29. सा का नि 368 तारीख 19-03-1966
30. सा का नि 421 तारीख 18-03-1966
31. सा का नि 499 तारीख 09-04-1966
32. सा का नि 743 तारीख 21-05-1966
33. सा का नि 847 तारीख 4-06-1966
34. सा का नि 1266 तारीख 13-08-1966
35. सा का नि 130 तारीख 20-01-1968
36. सा का नि 667 तारीख 30-06-1973
37. सा का नि 327(अ) तारीख 10-06-1975
38. सा का नि 414(अ) तारीख 16-07-1975
39. सा का नि 2596 तारीख 1-11-1975
40. सा का नि 2828 तारीख 13-12-1975
41. सा का नि 154 तारीख 31-01-1976
42. सा का नि 248(अ) तारीख 24-03-1976
43. सा का नि 627 तारीख 14-05-1977
44. सा का नि 24(अ) तारीख 9-01-1989
45. सा का नि 1256 तारीख 6-10-1989
46. सा का नि 555(अ) तारीख 4-09-1982
47. सा का नि 479(अ) तारीख 22-04-1988
48. सा का नि 694(अ) तारीख 10-06-1988
49. सा का नि 782(अ) तारीख 13-07-1988
50. सा का नि 908(अ) तारीख 7-09-1988
51. सा का नि 1032(अ) तारीख 26-10-1988
52. सा का नि 448(अ) तारीख 17-04-1989
53. सा का नि 510(अ) तारीख 24-05-1990
54. सा का नि 795(अ) तारीख 18-09-1990

G.S.R. 289(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, namely—

1. (1) These rules may be called the Companies (Central Government's) General Rules and Forms (Amendment) Rules 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956,—

(a) in rule 2, in sub-rule (1), in clause (v), sub-clause (b), the words "the managing agent, secretaries and treasurers" shall be omitted;

(b) rule 8 shall be omitted;

(c) in rule 9, for the words 'six annas', the words "rupee one" shall be substituted;

(d) rule 11 shall be omitted;

(e) rule 11A shall be omitted;

(f) in rule 13, in sub-rule (1), for the word "Court", the words "Company Law Board" shall be substituted;

(g) rule 13A shall be omitted;

(h) in Annexure 'A', Form numbers 1C, 23D, 25, 27, 28 and 35D shall be omitted.

(i) in Annexure B, in section 186, for the word "Court" wherever it occurs, the words "Company Law Board" shall be substituted;

(j) in Annexure C, in section 186, for the word "Court" wherever it occurs, the words "Company Law Board" shall be substituted;

(k) in Annexure D in section 186, for the word "Court" wherever it occurs, the words "Company Law Board" shall be substituted.

[F. No. 3|7|87-CL.V]

NOTE.—Principal Notification :—

1. SRO 432A, dated 18-2-1956
Subsequently amended by—
2. SRO 2535, dated 1-11-1956
3. SRO 3135, dated 21-12-1956
4. SRO 237, dated 19-1-1957
5. SRO 2105 dated 29-6-1957
6. SRO 3038 dated 28-9-1957
7. SRO 3867, dated 7-12-1957
8. GSR 48, dated 22-2-1958
9. GSR 723 dated 23-8-1958
10. GSR 750, dated 30-8-1958
11. GSR 1026, dated 1-11-1958
12. GSR 14, dated 3-1-1959
13. GSR 548, dated 9-5-1959
14. GSR 1140 dated 17-10-1959
15. GSR 1224, dated 7-11-1959
16. GSR 1364, dated 12-12-1959
17. GSR 220, dated 27-2-1960
18. GSR 595, dated 28-5-1960
19. GSR 195, dated 18-2-1961
20. GSR 814, dated 24-6-1961
21. GSR 1105, dated 9-9-1961
22. GSR 1408, dated 25-1-1961
23. GSR 653, dated 12-5-1962
24. GSR 344, dated 2-3-1963
25. GSR 628 dated 13-4-1963
26. GSR 97, dated 16-1-1965
27. GSR 822, dated 12-6-1965
28. GSR 1570, dated 30-10-1965
29. GSR 368, dated 19-3-1966
30. GSR 421, dated 18-3-1966
31. GSR 499, dated 9-4-1966
32. GSR 743, dated 21-5-1966
33. GSR 847, dated 4-6-1966
34. GSR 1262, dated 13-8-1966
35. GSR 130, dated 20-1-1968
36. GSR 667, dated 30-6-1973
37. GSR 327(E), dated 10-6-1975
38. GSR 414(E), dated 16-7-1975
39. GSR 2596, dated 1-11-1975
40. GSR 2828, dated 13-12-1975
41. GSR 154, dated 31-1-1976
42. GSR 248(E), dated 24-3-1976
43. GSR 627, dated 14-5-1977
44. GSR 24(E), dated 9-1-1979
45. GSR 1256, dated 6-10-1979
46. GSR 555(E), dated 4-9-1982
47. GSR 479(E), dated 22-4-1988
48. GSR 694(E), dated 10-6-1988
49. GSR 782(E), dated 13-7-1988
50. GSR 908(E), dated 7-9-1988
51. GSR 1032(E), dated 26-10-1988
52. GSR 448(E), dated 17-4-1989
53. GSR 510(E), dated 24-5-1990
54. GSR 795(E), dated 18-9-1990

सा.का.नि. 290(अ) :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637क की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 642 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी विधि बोर्ड (आवेदन और अर्जी पर फीस) नियम, 1991 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं— इन नियमों में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) अभिप्रेत है ;

(ख) "कम्पनी" के अन्तर्गत कोई विदेशी कम्पनी भी है ;

(ग) "कम्पनी विधि बोर्ड" से अधिनियम की धारा 10क के अधीन गठित कम्पनी विधि प्रशासन बोर्ड अभिप्रेत है ;

(घ) "एकाधिकार अधिनियम" से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) अभिप्रेत है ;

(ङ) "प्रादेशिक निदेशक" से कम्पनी कार्य विभाग में प्रादेशिक निदेशक के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(च) "रजिस्ट्रार" से अधिनियम के अधीन नियुक्त कम्पनी का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;

(छ) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ;

(ज) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(झ) "प्रतिभूति" से प्रतिभूति संविदा अधिनियम की धारा 22क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित प्रतिभूति अभिप्रेत है ;

(ञ) "प्रतिभूति संविदा अधिनियम" से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1946 का 42) अभिप्रेत है ।

3. आवेदन या अर्जी पर फीस—

(1) कम्पनी विधि बोर्ड को किए गए प्रत्येक आवेदन या अर्जी के साथ इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट समुचित फीस होगी ।

परन्तु प्रादेशिक निदेशक, कम्पनी रजिस्ट्रार, या केन्द्रीय सरकार अथवा सरकार की ओर से किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी आवेदन या अर्जी पर कोई फीस संदेय नहीं होगी ।

(2) कम्पनी विधि बोर्ड को अन्तरिम आदेश या निदेश के लिये दिया गया प्रत्येक उत्तरवादी आवेदन पत्र के साथ पचास रूपये का शुल्क उक्त होगा ।

4. इस नियम के अधीन संदेय फीस 104 -अन्य साधारण आर्थिक सेवाएं—

केन्द्रीय सरकार और कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन उसे किए गए आवेदनों/अर्जियों पर वसूल की गई फीस, लेखा शीर्ष के अन्तर्गत जमा करने के लिए भारत के लोक खाते में पंजाब नेशनल बैंक की निम्नलिखित शाखाओं में संदत्त की जाएंगी, अर्थात् :—

क्र. सं.	नगर	पंजाब नेशनल बैंक की शाखा का नाम
1	2	3
1.	अहमदाबाद	आश्रम रोड़
2.	इलाहाबाद	सिविल लाइंस
3.	बंगलौर	सिटी बैंक
4.	बम्बई	फिरोजशाह मेहता रोड़
5.	कलकत्ता	बराबोर्न रोड़

1	2	3
6.	चंडीगढ़	सेक्टर-17
7.	कटक	कटक
8.	दिल्ली	बाराखम्बा रोड़
9.	अरनाकुलम	अरनाकुलम
10.	ग्वालियर	नया बाजार
11.	हैदराबाद	बैंक स्ट्रीट
12.	जयपुर	एम. आइ. रोड़
13.	जोधपुर	रतनादा कालोनी
14.	जलंधर	सिविल लाइंस
15.	कानपुर	स्वरूप नगर
16.	मद्रास	माउंट रोड़
17.	नागपुर	क्रिंगसवे
18.	पणजी	पिफरलाकर रोड़

5. इस नियम के अधीन संदेय फीस वेतन और लेखा अधिकारी, कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास के पक्ष में लिखे गए बैंक ड्राफ्ट द्वारा भी संदत्त की जाएगी ।

अनुसूची

[नियम 2(1) देखिए]

क्र. सं.	अधिनियम की धारा	आवेदन/अर्जी की प्रकृति	फीस (रुपयों में)
1	2	3	4
1.	धारा 17(2)	एक राज्य से दूसरे को रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान में परिवर्तन के बारे में या किसी कम्पनी के उद्देश्यों की बाबत संगम ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि के लिए ।	500
2.	धारा 18(4)	परिवर्तन के रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेजें फाइल करने के लिए समय के विस्तार के लिए ।	100
3.	धारा 19	धारा 17 के अधीन किए गए आदेश को पुनरुज्जीवित करने के लिए आवेदन	100
4.	धारा 43	प्राइवेट कम्पनी का गठन करने वाली शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप अनुतोष के लिए प्रार्थना करना ;	200
5.	धारा 49(10)	यदि निरीक्षण के लिए इंकार कर दिया जाता है तो विनिधान रजिस्टर का तुरंत निरीक्षण अनुज्ञात करने के लिए कंपनी को निदेश देना ;	50
6.	धारा 58क (9)	परिपक्वय निक्षेपों का प्रतिसंदाय करने के लिए कम्पनी को निदेश देना ;	50
7.	धारा 79(2)	बट्टा पर अंशों का पुरोधरण मंजूर करना ;	500
8.	धारा 80क (1) परंतुक	अभोचनीय अधिमानी अंशों के स्थान पर और मोचनीय अधिमानी अंशों के पुरोधरण को सहमति प्रदान करना ;	500
9.	धारा III	किसी ऐसे आधार पर जिसके अन्तर्गत कम्पनी द्वारा अंतरण के रजिट्रीकरण/अंशों/डिबेंचरों के पारेषण का इंकार किया जाना भी है, सदस्यों के रजिस्टर की परिशुद्धि के लिए;	500

1	2	3	4
10.	धारा 113(1)	डिबेंचर प्रमाणपत्रों के परिदान के लिए अवधि का विस्तार करने के लिए।	500
11.	धारा 113 (3)	अंश/डिबेंचर प्रमाणपत्रों के जारी किए जाने के लिए समय सीमा का उपबन्ध करने वाली धारा 113 की उपधारा (1) के अनुपालन में व्यतिक्रम को ठीक करने के लिए ।	50
12.	धारा 118 (3)	न्यास विलेख की प्रति उसकी वांछा करने वाले व्यक्ति को प्रदान करने के लिए ।	50
13.	धारा 141	किसी भार या किसी भार के उपांतरण की विशिष्टियां फाइल करने के लिए, समय का विस्तार करने के लिए या उसमें हुए विलंब को माफ करने या कम्पनी रजिस्ट्रार के पास किसी भार के संदाय या तुष्टि की संसूचना के लिए ।	200
14.	धारा 144 (4)	भार सर्जित करने वाली लिखत या भार रजिस्टर की प्रतियों के निरीक्षण का निदेश देना।	50
15.	धारा 163 (6)	रजिस्टरों और विवरणियों के निरीक्षण का निदेश देना या किस व्यक्ति को उनकी अपेक्षा हो उन्हें उसकी प्रतियां देना।	50
16.	धारा 167	वार्षिक साधारण अधिवेशन का निदेश देना या उन्हें आहूत करना ।	50
17.	धारा 186	साधारण अधिवेशन (वार्षिक साधारण अधिवेशन से भिन्न) को आहूत करने के लिए आदेश देना ।	200
18.	धारा 188 (5)	इस बारे में आदेश के लिए कि क्या प्रदत्त अधिकारों का मानहानिकारक मामले के लिए अनावश्यक प्रचार प्राप्त करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है और अध्यपेक्षकों द्वारा पूर्णत: या भागत: कम्पनी के खर्चों का संदाय किए जाने का आदेश करना।	50
19.	धारा 196 (4)	कार्यवृत्त पुस्तकों के तुरंत निरीक्षण का निदेश देने वाले आदेश पारित करने के लिए या उसकी प्रति को उसकी वांछा रखने वाले किसी व्यक्ति को तुरंत भिजवाने का निदेश देने के लिए।	50
20.	धारा 219 (4)	ये निदेश देने वाला आदेश पारित करना कि तुलनपत्र और लेखा परीक्षक की मांगी गई रिपोर्ट की प्रति संबद्ध व्यक्ति को तुरंत दी जाए।	50
21.	धारा 225 (3) परंतुक	यह विनिश्चय करना कि क्या लेखा परीक्षकों के अपने अभ्यावेदनों की परिचालित कराने और अधिवेशनों में पढ़ने के अधिकारों का मानहानिकारक मामले के लिए अनावश्यक प्रचार प्राप्त करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है और सेवानिवृत्त लेखा परीक्षकों द्वारा आवेदन पर कम्पनी के खर्चों को पूर्णत: या भागत: संदत्त किए जाने का आदेश करने के लिए।	50
22.	धारा 235 (2)	किसी आदेश द्वारा यह घोषित करने के लिए कि किसी कम्पनी के कार्यकलापों का निरीक्षक (कों) द्वारा अन्वेषण किया जाए।	200
23.	धारा 250	कुछ अंशों के बारे में तथ्यों का पता लगाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत।	200
24.	धारा 284 (4) परन्तुक	यह विनिश्चय करना कि क्या किसी निदेशक के अपने अभ्यावेदन को अधिवेशन में परिचालित कराने और पढ़वाने के उसके अधिकार का मानहानिकारक मामले के लिए अनावश्यक प्रचार प्राप्त करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है और ऐसे निदेशक द्वारा आवेदन पर कम्पनी के खर्चों का पूर्णतया या भागतया संदत्त करने का आदेश करने के लिए ।	50

1	2	3	4
25.	धारा 304 (2) (ख)	धारा 303 के अधीन बनाए रखे गए रजिस्टर तुरन्त निरीक्षण का निदेश करने वाला आदेश पारित करना।	50
26.	धारा 307 (9)	धारा के अधीन बनाए रखे गए रजिस्टर का तुरंत निरीक्षण का निदेश करने वाला आदेश पारित करना।	50
27.	धारा 397, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405	उत्पीड़न और/या कुप्रबंध के निवारण के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करना।	500
28.	धारा 407 (1) (ख)	ऐसे प्रबंध निदेशक या प्रबंधक की नियुक्ति के लिए इजाजत मंजूर करना जिसका करार पर्यवसित या अपास्त कर दिया गया है, परन्तु यह तब जबकि केन्द्रीय सरकार को सूचना की तामील कर दी गई हो।	500
29.	धारा 408	यह विनिश्चय करना कि क्या निदेशक बोर्ड में सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करना और तदनुसार केन्द्रीय सरकार को सलाह देना आवश्यक है।	500
30.	धारा 409 (1)	निदेशक बोर्ड में ऐसे परिवर्तनों का निवारण करना जिनसे कम्पनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।	500
31.	धारा 614 (1)	कम्पनी रजिस्ट्रार को विवरणियां आदि देने में असफल रहने में व्यतिक्रम की क्षतिपूर्ति करने के लिए किसी कम्पनी को निदेश देने वाला आदेश पारित करना।	50
32.	प्रतिभूति संविदा अधिनियम की धारा 22क (4) (ग)	प्रतिभतियों के रजिस्ट्रीकरण/गैर-रजिस्ट्रीकरण के लिए।	500
33.	एकाधिकार अधिनियम की धारा 2क	एकाधिकार अधिनियम की धारा 2क के उपबन्धों के अनुसार समूह, अंतरासंबंध या एक ही प्रबंध के किसी प्रश्न के अवधारणा के लिए।	500

[फाइल सं.—3/7/87—सी. एल.—5]
सुधा पिल्ले, संयुक्त सचिव

G.S.R. 290(E).—In exercise of the powers conferred by section 642 read with sub-section (2) of section 637A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and all powers enabling it in that behalf, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Company Law Board (Fees on Applications and Petitions) Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(b) "Company" includes a foreign company;

(c) "Company Law Board" means the Board of the Company Law Administration, constituted under section 10E of the Act;

(d) "Monopolies Act" means the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969);

(e) "Regional Director" means the person appointed by the Central Government, in the Department of Company Affairs, as a Regional Director;

(f) "Registrar" means the Registrar of Companies appointed under the Act;

(g) "Section" means a section of the Act;

(h) "Schedule" means schedule to these rules;

(i) "Security" means security as defined in clause (b) of sub-section (1) of section 22A of the Securities Contracts Act;

(j) "Securities Contracts Act" means the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);

3. Fees on application or petition.

(1) Every petition made to the Company Law Board shall be accompanied by appropriate fee specified in the Schedule to these rules:
Provided that no fee shall be payable on applications or petitions made by the Regional Director, Registrar of Companies, or by the Central Gvernment, or by any officer on behalf of the Government.

(2) Every interlocutory application made to the Company Law Board for an interim order or direction shall be accompanied by a fee of rupees fifty.

4. Fees payable under this rule shall be paid into the Public Account of India at the following branches of the Punjab National Bank for credit under the Head of Account—104 Other General Economic Services —Fees realized by the Central Government and Company Law Board on applications/petitions made to it under the Companies Act, 1956, namely:—

Sl. No.	City	Name of the Branch of the Punjab National Bank
1	2	3
1.	Ahmedabad	Ashram Road
2.	Allahabad	Civil Lines
3.	Bangalore	City Branch
4.	Bombay	Phiroz Shah Mehta Road
5.	Calcutta	Brabourne Road
6.	Chandigarh	Sector-17
7.	Cuttack	Cuttack
8.	Delhi	Barakhamba Road, New Delhi
9.	Ernakulam	Ernakulam
10.	Gwalior	Naya Bazar
11.	Hyderabad	Bank Street
12.	Jaipur	M.I. Road
13.	Jodhpur	Ratnada Colony
14.	Jullundhur	Civil Lines
15.	Kanpur	Swaroop Nagar
16.	Madras	Mount Road
17.	Nagpur	Kingsway
18.	Panaji	Piffurlakar Road

5. The fees payable under this rule may also be paid by means of a Bank Draft drawn in favour of Pay and Accounts Officer, Department of Company Affairs, New Delhi/Bombay/Calcutta/Madras.

SCHEDULE

[See Rules 2(1)]

Sl. No.	Section of the Act	Nature of application/petition	Fees (in Rs.)
1	2	3	4
1.	S. 17(2)	For confirming alteration in memorandum of association as to change of place of the registered office from one State to another or with respect to objects of a company.	500
2.	S. 18(4)	For extension of time for filing documents for registration of alteration.	100
3.	S. 19	Application for revival of order made under section 17.	100
4.	S. 43	Praying for relief from consequences of failure to comply with the conditions constituting it a private company.	200
5.	S. 49(10)	To direct the company to allow an immediate inspection of Register of Investments, if the inspection is refused.	50
6.	S. 58A(9)	To direct the company to make repayment of the matured deposits.	50
7.	S. 79(2)	To sanction issue of shares at a discount.	500
8.	S. 80A(1) Proviso	To give consent to issue of further redeemable preference shares in lieu of irredeemable preference shares.	500
9.	S. 111	For rectification of Register of Members on any ground including refusal of registration of transfer/transmission of shares/ debentures by the Company.	500
10.	S. 113(1)	For extending the period for delivery of the certificates of debentures.	500
11.	S. 113(3)	To correct the default in non-compliance of sub-section (1) of section 113 providing time limit for issue of share/debenture certificates.	50
12.	S. 118(3)	For furnishing copy of trust deed to person requiring it.	50
13.	S. 141 .(1) and (3)	For extension of time or condonation of delay in filing the particulars of a charge or modification of a charge or intimation of payment or satisfiction of a charge with the Registrar of Companies.	200
14.	S. 144(4)	To direct inspection of copies of instrument creating charges or register of charges.	50
15.	S. 163(6)	To direct inspection of registers and returns or to furnish the copies thereof to the person requiring it.	50
16.	S. 167	To direct or to call annual general meeting.	50
17.	S. 186	For ordering calling of general meeting (other than annual general meeting)	200

1	2	3	4
18.	S. 188(5)	For order as to whether the Rights conferred are being abused to secure needless publicity for defamatory matter and to order company's costs to be paid in whole or in part by the requisitionists.	50
19.	S. 196(4)	For passing order directing immediate inspection of minute books or directing a copy thereof be sent forthwith to person requiring it.	50
20.	S. 219(4)	To pass an order directing that a copy of balance sheet and auditor's report demanded be furnished forthwith to person concerned.	50
21.	S. 225(3) Proviso	To decide as to whether right of auditors to get their representation circulated and read out at meeting is being abused to secure needless publicity for defamatory matter and to order company's costs on an application to be paid in whole or in part by retiring auditors.	50
22.	S. 235(2)	To declare by an order that affairs of a company be investigated by inspector(s).	200
23.	S. 250	Complaint by any person for finding out facts about certain shares.	200
24.	S. 284(4) Proviso	To decide as to whether the right of a director to get his representation circulated and read out at meeting is being abused to secure needless publicity for defamatory matter and to order company's costs on application to be paid in whole or in part by sueh director.	50
25.	S. 304(2) (b)	To pass an order directing immediate inspection of register maintained under section 303.	50
26.	S. 307(9)	To pass an order directing immediate inspection of register maintained under the section.	50
27.	S. 397, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405.	To exercise powers in connection with prevention of oppression and/or mismanagement.	500
28.	S. 407(1) (b)	To grant leave for an appointment of managing director or manager whose agreement has been terminated or set aside provided notice has been served on Central Government.	500
29.	S. 408	To decide whether it is necessary to appoint Government directors on the Board of directors and to advise Central Government accordingly.	500
30.	S. 409(1)	To prevent change in Board of Directors likely to affect company prejudicially.	500
31.	S. 614(1)	To pass an order directing a company to make good the default from its failure to make returns etc. to the Registrar of Companies.	50

1	2	3	4
32.	S. 22A(4) (C) of the Securities Contracts Act.	To issue of direction for registration/non-registration of Securities.	500
33.	S. 2A of the Monopolies Act.	For determination of any question of group, interconnection or same management in accordance with the provisions of section 2A of the Monopolies Act.	500

[F.No. 3/7/87-CL. V]
SUDHA PILLAI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press. Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1991